# न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कन्हैयालाल सोनगरा, आर.ए.एस.

---

अपील संख्या : 114/2022
जी.सी.एम.एस. :– 2022/114

1. हितेक्षा उम्र 16 वर्ष
2. भानू प्रताप उम्र 14 वर्ष

} पुत्री व पुत्र महावीर जाति जाट निवासी ढ़ाढ़ियावाली तहसील सूरतगढ़ नाबालिग जरिये कुदरती बली माता निर्मला पत्नी महावीर जाति जाट निवासी धोलीपाल हाल ढ़ाढ़ियावाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

3. निर्मला पत्नी महावीर जाति जाट निवासी धोलीपाल हाल ढ़ाढीयांवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

अपीलांटस्

**बनाम**

1. सुमनरानी पत्नी संदीप वर्मा जाति कुम्हार निवासी वार्ड न. 6/10 बाबा रामदेव मंदिर रोड़ सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. विद्यादेवी पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी धोलीपाल हाल ढ़ाढ़ियावाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) सूरतगढ़।
4. उप–पंजीयक सूरतगढ़।

उतरवादीगण

## अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू.राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांटस्
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता, उतरवादीगण

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

### – : : निर्णय : : –

दिनांक:– 18.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अपीलांट के पिता/पति मृतक महावीर पुत्र मनफूल के नाम रोही ढ़ाढ़ियावाली के खसरा नम्बर 87 में [illegible] हैक्टेयर बारानी रकबा में 2.884 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा में उत[illegible]या [illegible] विद्यादेवी के नाम विरासतन इन्तकाल न. 295 दिनांक 22.11.2016 [illegible] के विरूद्ध दर्ज हो गया था जिसको निरस्त करवाने की अपील अपी[illegible] ने अलग से सक्षम न्यायालय में पेश कर दी है तथा इन्तकाल न. 295 के आधार पर जमाबंदी में अंक[illegible] गया जबकि उतरवादीया न. 2 को [illegible] रकबा में 1/16 हिस्सा [illegible] उतरवादीया न. 2 ने राजस्व रिकार्ड में अपने नाम हिस्सा से ज्यादा रकबा दर्ज हो जाने के प्श्चात् अपने नाम के 0.721 हैक्टेयर रकबा का तथाकथित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:00:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

तरीके से बिना कब्जा ही बेचान उतरवादीया न. 1 को दिनांक 01.10.2021 को दर्शाकर बैयनामा पंजीयन करवा दिया तथा तथाकथित बैयनामा दिनांक 01.10.2021 के आधार पर उतरवादीया न. 1 ने रोही ढ़ाढ़ियावाली के इन्तकाल न. 440 दिनांक 06.12.2021 अपने नाम से तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ से स्वीकृत करवाया हैं। यह इन्तकाल खिलाफ कानून, खिलाफ रिकार्ड मिसल व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य हैं।

अपीलांट न. 1 व 2 नाबालिग होने से अपीलांट न. 3 उनकी माता द्वारा अपील की गई हैं। जैरअपील भूमि रोही ढ़ाढ़ियावाली के खसरा नम्बर 87 की 5.768 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा अपीलांट के पिता/पति व उतरवादीया न. 2 के पुत्र महावीर के नाम से थी व 1/2 हिस्सा अन्य का तकार के नाम से हैं जिसका विवाद नहीं हैं। अपील मीमों में यह भी दर्ज हैं कि अपीलांट न. 1–2 के पिता व 3 के पति व उतरवादीया न. 2 के पुत्र मनफूल के स्वर्गवास हो जाने के बाद जैरअपील 2.884 हैक्टेयर भूमि का विरासतन इन्तकाल चारो के नाम ब.हि.ब. दर्ज कर दिया गया। यह इन्तकाल न. 295 दिनांक 22.11.2016 को दर्ज किया जाकर व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकन हो गया। अपील मीमों में यह तथ्य भी दर्ज किया गया हैं कि तहसील व जिला हनुमानगढ़ में अपीलांट न. 3 के ससुर मनफूल के नाम रकबा था व उनके स्वर्गवास होने पर विरासतन आये हुए रकबा को अपीलांटगण के पिता/पति ने बेच कर यह जैरअपील भूमि खरीदी थी इसलिए यह भूमि पैतृक हैं व अपीलांटगण का इस भूमि में जन्म से ही हक होने से भूमि धारक अपीलांटगण के पिता/पति के रकबा में अपीलांटगण व उतरवादी न. 1 व 2 का जो बराबर का हक मानकर विरासतन इन्तकाल किया गया हैं वह गलत हैं, हिन्दू विधि के अनुसार अपीलांटगण का हिस्सा ज्यादा बनता हैं। अपीलांटगण ने अपील के पैरा संख्या 4 में यह लिखा हैं कि इस भूमि बाबत इन्ही पक्षकारो के मध्य घोशणा का वाद पत्र प्रस्तुत कर जैरअपील इन्तकाल को निश्प्रभावी करवाने की घोशणा चाही गई हैं। इन्तकाल न. 295 दिनांक 22.11.2016 आज भी कायम है जिसके आधार से उतरवादीया न. 2 के नाम रकबा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में आ गया था व विरासतन आये हुए हिस्सा को ही उतरवादीया न. 2 ने अपना हिस्सा उतरवादीया न. 1 को जरिये पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 01.10.2021 को बेचान कर दिया था व इस बैयनामा के आधार पर ही उतरवादीया न. 1 के नाम इन्तकाल न. 440 दिनांक 06.12.2021 को तस्दीक कर देने से उतरवादीया न. 1 का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में आ गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को तलब किया गया। अदालत मातहत का रिकार्ड आने पर बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने कथन किया कि प्रार्थी न0 1 व 2 नाबालिग है व प्रार्थी न0 3 बेवा औरत है जो काननू से अज्ञान है प्रार्थीगण को इस बात की पूर्व में जानकारीनहीं थी कि तथाकथित [illegible] प्रावधान है। प्रार्थीगण वाद पत्र पेश किये जाने के पश्चात [illegible] 2 द्वारा बैचान किये गये रकबे की खरीददार [illegible] इंतकाल के विरूद्ध अपील पेश की है। [illegible] की जानकारी [illegible] के तुरंतबाद अपील पेश कर दी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:00:47 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पो. के विद्वान अधिवक्ता ने [illegible] रूप से बहस करते हुए निवेदन किया कि इन्तकाल एक फिसकल इन्ट्री है, यह रकम वसूल का माध्यम है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

इन्तकाल से किसी के अधिकार पैदा नहीं होते। इस जैरअपील इन्तकाल में उतरवादीया न. 1 सुमनरानी को अधिकार उसके पक्ष में उतरवादीया न. 2 के द्वारा करवाये गये पंजीबद्ध बैयनामा से आये हैं व बैयनामा आज भी कायम हैं, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त या गैरकानूनी घोशित नहीं किया गया हैं। अपीलांट स्वयं अपील मीमो में मान रहा हैं कि हकों की घोशणा का दावा श्रीमान कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ की अदालत में किया हुआ हैं जो आज भी चल रहा हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। बहस उभय पक्ष सुनी गई अपील का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओ पर ना किया जाकर मैरिट पर किया जाना है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात गुणावगुण के आधार पर बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमो में दर्ज तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसील हनुमानगढ़ की पैतृक भूमि का बेचान करके ही यह जैरअपील भूमि खरीद करने से यह भूमि भी पैतृक है जिसमें अपीलांटगण का जन्म से ही हक पैदा हो गया था व उसमें मृतक महावीर का 1/4 हिस्सा ही बनता था परन्तु उनके स्वर्गवास होने पर उनके चार जायज वारिस(पुत्र पुत्री, पत्नी व माता) अपीलांटगण व उतरवादीया न. 2 चारो के ब0हि0ब0 इन्तकाल हिस्सा से ज्यादा दर्ज कर दिया व उतनी हिस्से की भूमि उतरवादीया न. 2 ने उतरवादीया न. 1 को बेचान कर दी उसका इन्तकाल जो उतरवादीया न. 1 के दर्ज हुआ हैं उसको गैरकानूनी मानते हुए अपील स्वीकार करते हुए इन्तकाल न. 440 दिनांक 06.12.2021 को निरस्त किया जावे।

रेस्पो. के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से बहस करते हुए निवेदन किया कि इन्तकाल एक फिसकल इन्ट्री हैं, यह रकम वसूल का माध्यम है। इन्तकाल से किसी के अधिकार पैदा नहीं होते। इस जैरअपील इन्तकाल में उतरवादीया न. 1 सुमनरानी को अधिकार उसके पक्ष में उतरवादीया न. 2 के द्वारा करवाये गये पंजीबद्ध बैयनामा से आये हैं व बैयनामा आज भी कायम हैं, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त या गैरकानूनी घोशित नहीं किया गया हैं। अपीलांट स्वयं अपील मीमो में मान रहा हैं कि हकों की घोशणा का दावा श्रीमान कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ की अदालत में किया हुआ हैं जो आज भी चल रहा हैं। उनकी यह भी बहस हैं कि अपीलांटगण अपील मीमो में यह मानकर आ रहे हैं कि उतरवादीया न. 2 के पक्ष में जो विरासतन इन्तकाल न. 295 दिनांक 22.11.2016 दर्ज हुआ था वह भी आज तक कायम हैं, निरस्त नहीं हुआ हैं। जब तक मूल इन्तकाल निरस्त नहीं हो जाता तब तक बाद वाला इन्तकाल निरस्त करवाने की अपील अपने आप में ही गैरकानूनी हैं व जब जैरअपील इन्तकाल को बेअसर करवाने व हकों की घोशणा का वाद पत्र सक्षम अदालत में विचाराधीन हैं जिसमें पूरे साक्ष्य सबूत व गवाहों के बयान के बाद तनकीवार निर्णय होगा वही मान्य होगा। इसलिए अपीलांटगण की अपील गैरकानूनी होने से निरस्त की जावे।

उभय पक्ष की बहस [illegible] किया व पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया व संबंधित कानून [illegible] भी सम्मानपूर्वक अध्ययन किया गया। मौजूदा अपील में दो कानूनी [illegible] मुख्य रूप से सामने आये हैं प्रथम जो विरासत का इन्तकाल [illegible] के पक्ष में तस्दीक किया गया था उसमें भूमि का जितना हिस्सा [illegible] नाम से दर्ज था उतनी भूमि का बेचान हुआ हैं व उतने हिस्सा की भूमि का इन्तकाल जैरअपील इन्तकाल में होने से जब तक पूर्व का इन्तकाल यथावत हैं तो बाद का इन्तकाल निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:00:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

करने से विसंगती पैदा हो जायेगी जो कानूनी रूप से सही नहीं हैं। दूसरा कानूनी बिन्दू यह हैं कि जैरअपील भूमि के संबंध में व इन्ही पक्षकारों के मध्य अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उतरवादीगण के विरूद्ध घोषणा का वाद पत्र सक्षम न्यायालय में जैरकार हैं जिसका निर्णय अभी होना हैं। हकों की घोषणा वाद पत्र के निर्णय व डिक्री से ही तय होनी हैं, इसलिए यह अपील चलने योग्य नहीं हैं। इसलिए अपील निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः सभी तथ्यात्मक, रिकार्ड व कानूनी बिन्दुओं के विश्लेषण करने के बाद अपील अपीलान्टस् अस्वीकार की जाती हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अदालत मातहत का रिकार्ड मय निर्णय प्रति लौटाया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल सोनगरा)
अतिरिक्त कलक्टर
सूरतगढ़।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:00:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner